

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक
सेवा में,

430 / 14-1,

हरदोई, दिनांक,

29-7-2022

प्रबन्धक, रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0,
इलडिको कार्पोरेट चैम्बर-2,
नवों तल, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:— जनपद हरदोई के अन्तर्गत मे0 रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी गोमतीनगर लखनऊ द्वारा शाहाबाद-हरदोई मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-731) किमी0 सं0-27 (चैनेज सं0-126.654) के मध्य दांयी पटरी पर स्थित ग्राम शाहाबाद अन्दर तहसील-शाहाबाद जिला हरदोई मे खसरा सं0-6887 एवं 6888 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.041228 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/41/2022/एफ0सी0/234, दिनांक-13-07-20221

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सम्बोधित एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) वन विभाग, लखनऊ व इस कार्यालय सहित आपको भी पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मार्ग के किनारे प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित 0.041228 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। निहित शर्तों पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराने जाने के पश्चात ही प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दिनांक-17-07-2022 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-02 एवं 4 के क्रम में आगणित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:—

2- 100 पौधों का रोपण एवं रोपित पौधों का 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि—

= ₹0-2,48,400.0

4- प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की अपेक्षित धनराशि—
क्षेत्रफल-0.041228 हे0 x 957780 (प्रति हे0 दर) = ₹0-39488.0

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वांछित धनराशि ₹0-2,48,400.0 व ₹0-39,488.0 को आनलाइन पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर आनलाईन ई-रसीद मूल में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। साथ ही साथ सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0-1, 3, 5, से लगायत 17 तक के समस्त शर्तों पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करते हुए

वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक

सा0 वा0 वन एवं वन्यजीव प्रभाग,

हरदोई।

पत्रांक-430/ उक्तदिनोक्ति।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रांक-164/11-सी FP/UP/Approach/149746/2021 दिनांक:-14-07-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक

सा0 वा0 वन एवं वन्यजीव प्रभाग,

हरदोई।